अध्याय 9

आपदा राहत

9.1 विचारार्थ विषयों के पैरा 10 में हमसे अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण के बारे में वर्तमान व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करें और उन पर उचित अनुशंसाएं करें।

आपदा राहत निधि (सीआरएफ)

9.2 दूसरे वित्त आयोग से लेकर प्रत्येक वित्त आयोग ने राहत व्यय के निधिपोषण की समस्या को पहचाना है। तब से क्रमिक वित्त आयोगों ने राज्यों के राजस्व में से राहत व्यय हेतु प्रावधान और केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता के परिमाण के बारे में अनुशंसाएं की हैं। द्वितीय वित्त आयोग के आदेश पर इस बारे में किए गए प्रबंधों को सामान्यता 'मार्जिन मनी स्कीम' के नाम से जाना जाता था। यह प्रबंध जिसमें राहत व्यय के लिए मार्जिन के रूप में राज्यों द्वारा एक विनिर्दिष्ट राशि अलग से रखा जाना और केंद्र द्वारा अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना शामिल था, कुछ छोटे परिवर्तनों के साथ बाद के आठवें तक के वित्त आयोगों द्वारा पृष्ठांकित किया जाना जारी रहा है।

9.3 सी.आर.एफ की वर्तमान योजना अनिवार्य रूप से नौवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। सीआरएफ का आकार निर्धारित करते समय नौवें वित्त आयोग ने स्वयं को मार्जिन मनी तक सीमित नहीं रखा जैसा कि पूर्ववर्ती वित्त आयोगों (चौथे से आठवें तक) द्वारा किया गया था बल्कि व्यय की उच्चतम सीमाओं के औसत को ध्यान में रखा जिसमें मार्जिन मनी, अग्रिम आयोजना सहायता (अनुदान और ऋण) विशेष केंद्रीय सहायता और 1988-89 में समाप्त दस वर्ष की अवधि में राज्य का स्वयं का 25 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। इस आधार पर सभी राज्यों के लिए सीआरएफ की कुल राशि 804 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बैठती है। सीआरएफ का आकार निर्धारित करते समय समय दसवें वित्त आयोग ने 1983-84 से 1989-90 तक के वर्षों की व्यय की उच्चतम सीमाओं के जोड़ के औसत और 1990-91 से 1992-93 तक के वर्षों के लिए सीआरएफ की राशि को हिसाब में लिया। सभी राज्यों के लिए इस प्रकार निकाली गई राशि 1994-95 तक मुद्रास्फीति और तत्पश्चात 1999-2000 तक अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की तरह ही उसी लचीलेपन से क्रमबद्ध दरों पर समंजित की गई थी। वर्ष 1995-2000 की अवधि के लिए सभी राज्यों की सीआरएफ की कुल राशि 6304.27 करोड़ रुपए बैठती है।

9.4 सीआरएफ की वर्तमान योजना की मुख्य विशेषताएं, जो ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित हैं, निम्नानुसार हैः

(i) सीआरएफ का प्रयोग चक्रवात, सूखे, भूकंप, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्ति हेतु किया जाना चाहिए।

(ii) राज्यों के सीआरएफ का आकार 1998-99 के मूल्यों पर 1998-99 में समाप्त 12 वर्षों के लिए, औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को पूर्णतया समंजित करने के पश्चात मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत राज्यों द्वारा उपगत औसत व्यय को हिसाब में लेकर निर्धारित किया गया था। इस प्रकार आकलित राशि अनुमानित मुद्रास्फीति के आधार पर 1999-2000 तक अनुमानित की गई है और 2004-2005 तक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रावधान मुद्रास्फीति की वर्तमान दर मानते हुए किया गया है। जहां औसत व्यय कम हुआ है, वर्ष 2000-01 के लिए आवंटन 1999-2000 के स्तर पर रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई राज्य उससे कम प्राप्त न करे जो वह पहले प्राप्त कर रहा था। असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे अपेक्षाकृत गरीब राज्यों के मामले में उनके सीआरएफ का आकार इन छहः राज्यों में इन राज्यों के अपने स्वयं के सीआरएफ के अनुपात में आवंटित सीआरएफ के सकल आकार के 10 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रावधान द्वारा सुदृढ़ किया गया था।

(iii) सीआरएफ में केंद्र और राज्यों से अशंदान 75:25 के अनुपात में होगा।

(iv) केंद्र सरकार का हिस्सा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली मई और पहली नवंबर को दो किश्तों में राज्य सकारों को प्रेषित करा दिया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी उसी वर्ष के मई और नवम्बर में दो किश्तों में निधि को कुल अशंदान (उनके अपने हिस्से सहित) अतंरित कर देती हैं। किश्त जारी करने से पहले राज्य यह दर्शाते हुए प्रमाणपत्र देंगे कि पहले प्राप्त राशि सीआरएफ में जमा करा दी गई है। इस प्रमाण पत्र के साथ अद्यतन व्यय और सीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि दर्शाने वाला एक विवरण होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीआरएफ की निधियों का विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मदों/मानदंडों के अनुसार अनुमोदित न किए गए व्यय पूरा करने के लिए विपथित नहीं किया जा रहा, केंद्र सरकार ने अब एक विस्तृत प्रपत्र विनिर्दिष्ट किया है जिसमें राज्यों को मदवार व्यय की सूचना देनी होती है।

(v) सीआरएफ से आहरित धनरशि प्रभावित क्षेत्र और जनसंख्या को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय, जिसने सीआरएफ की योजना हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में कृषि मंत्रालय को प्रतिस्थापित किया है, द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में सन्निहित व्यय की मदों पर और मानदंडों के अनुसार ही प्रयुक्त की जानी चाहिए।

(vi) अवसंरचना और अन्य पूंजी अस्तियों की पुनर्बहाली पर व्यय, सिवाय उनके जो राहत संचालन और प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या की संपर्कता से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हैं, प्राथमिकता के आधार पर आयोजना निधियों से पूरा किया जाना चाहिए।

(vii) यदि किसी विशिष्ट वर्ष में प्राकृतिक आपदा पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि सीआरएफ में उपलब्ध राशि से अधिक है तो राज्य, उत्तरवर्ती वर्ष में देयों के एवज में संमजित किए जाने के लिए केंद्र से राज्य को अगले वर्ष देय निधियों के 25 प्रतिशत का आहरण करने में समर्थ होगें।

(viii) सीआरएफ का संचालन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता व अन्य अधिकारियों, जो सामान्यतः राहत कार्यों से जुड़े हैं और राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, को मिलाकर बनी संबंधित राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाता है। यह समिति राहत व्यय के वित्त पोषण से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेती है, संबंधित सरकारों से अशंदान प्राप्त करने की व्यवस्था करती है, निधि का संचालन करती है और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संग्रहणों का निवेश करती है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि सीआरएफ से आहरित धनराशि वास्तव में उन्ही प्रयोजनों के लिए जिनके लिए निधि की स्थापना की गई है और केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में सन्निहित व्यय मदों और मानदंडों के अनुसार प्रयुक्त की जाए।

(ix) निधियों के निवेश का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा द्वारा किया जाता है जिसका बैंकिंग विभाग राज्य के मुख्यालय में होता है। उन राज्यों के मामले में जहां राज्य के मुख्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक की ऐसी कोई शाखा नहीं है, इस निवेश का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित बैंक द्वारा किया जाएगा और जम्मू तथा कश्मीर व सिक्किम की सरकारों के मामले में ये कार्य उनके बैंकरों द्वारा किए जाते हैं। निधि में संग्रहणों के साथ निवेश पर अर्जित आय (i) केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, (ii) नीलाम की गई राजकोषीय हुंडियों, (iii) ब्याज अर्जनकारी जमाराशियों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियों के प्रमाणपत्रों और (iv) सहकारी बैंकों में ब्याज अर्जनकारी जमाराशियों जैसी एक अथवा अधिक लिखतों में निवेश की जाती है। यदि किसी कारणवश इस योजना में निर्दिष्ट तरीके से निवेश करना संभव नहीं हो तो निधि को आवधिक अशंदान के साथ-साथ निधि की अन्य आय को लोक लेखे में रखा जा सकता है जिसपर राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट पर प्रयोज्य दर से डेढ़ गुणा दर पर निधि को अर्धवार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगी।

(x) पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत में निधि में शेष को अगली योजना में संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ)

9.5 क्रमिक वित्त आयोगों ने असाधारण प्रचंडता की आपदाओं के मामलों में केंद्र सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता स्वीकार की है और इस बारे में अनुशंसाएं की हैं। सातवें और आठवें वित्त आयोगों ने अनुशंसित किया है कि यदि असाधारण प्रचडंता की आपदा है तो केंद्र को प्रभावित राज्य को उसमें निर्दिष्ट हिस्से से अधिक विशेष सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। नौवें वित्त आयोग को प्रत्याशा थी कि यदि किसी क्षेत्र को इतने परिमाण व प्रचंडता की आपदा का सामना करना पड़ता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर समाधान किए जाने की आवश्यकता हो तो केंद्र स्थिति की मांग के अनुसार समुचित कार्रवाई करेगा और आवश्यक व्यय उपगत करेगा। दसवें वित्त आयोग ने पहली बार असाधारण प्रचंडता वाली आपदाओं की देखभाल के लिए एक सुस्पष्ट निधियन तंत्र बनाया है। आयोग ने अवलोकित किया कि 'असाधारण प्रचंडता' पद की कोई परिभाषा असंख्य कठिनाईयों से भरी होगी और इसके उत्पादकता-रोधी होने की संभावना है। आयोग का विचार था कि असाधारण प्रचंडता वाली आपदा को अन्य बातों के साथ-साथ आपदा की सघनता व आकार, आवश्यक राहत सहायता का स्तर, समस्या से निपटने में राज्य की क्षमता, सहायता और राहत पहुंचाने के लिए योजनाओं में विकल्प व लोचशीलता आदि को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर आंकना होगा। आयोग ने राष्ट्रीय आपदा राहत समिति (एमसीआरसी) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनएफसीआर) के गठन की अनुशंसा की है। केंद्र और राज्यों दोनों को एनसीआरसी में प्रतिनिधित्व दिया जाना था जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा की जानी थी और इसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष और कुछ मुख्य मंत्रियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना था। एनएफसीआर की संचित निधि 700 करोड़ रुपए की थी जिसमें केंद्र और राज्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि में 75:25 के अनुपात में अशंदान किया जाना था।

9.6 असाधारण प्रचंडता की आपदाओं के मुद्दे पर चर्चा करते समय ईएफसी ने अवलोकित किया कि एनएफसीआर की योजना के अंतर्गत राज्यों को समिति से किसी राहत का आवंटन किए जाने से पहले एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना था। यह भी इंगित किया गया कि ऐसे अवसर रहे हैं जब राहत उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय दलों और अंतर-मंत्रालयीन समूहों की अनुशंसाएं या तो स्वीकार नहीं की गई अथवा आशोधित कर दी गई तथा राहत की राशि कम कर दी गई। ईएफसी ने यह भी अवलोकित किया कि एनएफसीआर की संचित निधि पूरे पांच वर्ष तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं थी; यह पहले तीन वर्षों अर्थात 1995-98 में समाप्त हो गई और इसे बढ़ाना पड़ा था। आयोग ने इस निधि को बंद करने की अनुशंसा की क्योंकि इसके परिणामस्वरुप असाधारण प्रचंडता की आपदा से निपटने में तत्काल निधियां उपलब्ध नहीं हो सकी थीं। तथापि ईएफसी का विचार था कि असाधारण प्रचंडता वाली आपदा के घटित होने के मामले में राज्यों को स्वयं के बचाव के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता और केंद्र और अन्य राज्यों से भी विपदाग्रस्त राज्य को राहत प्रदान करने के लिए आगे आने की प्रत्याशा की जाती है। अतएव आयोग ने महसूस किया है कि ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है जिससे राज्य सरकार से किसी ज्ञापन अथवा नुकसान के तत्स्थल मूल्यांकन तथा अपेक्षित राहत की सीमा हेतु केंद्रीय दल की तैनाती की प्रतीक्षा किए बगैर केंद्र सरकार द्वारा असाधारण प्रचंडता की आपदाएं आने पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना संभव हो सके। ईएफसी ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि की स्थापना की अनुशंसा की है।

9.7 ईएफसी की अनुशंसाओं पर आधारित एनसीसीएफ की वर्तमान योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के अनुवीक्षण हेतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र (एनसीसीएम) की स्थापना की गई है। एनसीसीएम से प्रत्याशा है कि नियमित आधार पर ऐसी घटनाओं का अनुवीक्षण करे और क्षेत्र व जनसंख्या पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करे और यह भी मूल्यांकन करे कि क्या राज्य सीआरएफ और अपने स्वयं के संसाधनों से प्रचंड प्रकृति की आपदा के विशिष्ट मामले में राहत पहुंचाने की स्थिति में है। इसे तब स्वयं ही केंद्र सरकार को अनुशंसा करनी होगी कि आपदा प्रचंड प्रकृति की है और इसलिए केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों से सहायता के लिए पात्र है। केंद्र तब ऐसी अनुशंसा पर समुचित कार्रवाई करेगा।

(ii) इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराई गई किसी वित्तीय सहायता को केंद्रीय करों पर विशेष अधिभार लगा कर पूरा किया जाएगा। ऐसे अधिभार/उपकर से संग्रहणों को केंद्र सरकार के लोक लेखे में सृजित अलग निधि में रखा जाएगा जिसमें आरंभिक मूल राशि के रूप में उसका अंशदान 500 करोड़ रुपए का होगा। इस निधि से व्यय की प्रतिपूति अधिभार लगा कर की जाएगी।

(iii) वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत में राष्ट्रीय निधि में अव्ययित शेष अगली आयोजना हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु केंद्र सरकार के पास उपलब्ध होगा।

राज्यों के विचार

9.8 राज्यों ने सीआरएफ और एनसीसीएफ की योजनाओं से संबधित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके विचार नीचे दिए जा रहे हैं:

(क) सीआरएफ के आकार के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने आग्रह किया है कि निधि का आकार कम से कम 10 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया जाए। अरुणाचल प्रदेश और असम ने सीआरएफ की संचित निधियों को बढ़ाकर क्रमशः दोगुना और तिगुना करने का अनुरोध किया है। केरल ने अनुरोध किया है कि सीआरएफ को संबंधित राज्य के वार्षिक राज्य आयोजना आकार की राशि का 10 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। कुछ राज्यों ने अभ्यावेदन किया है कि सीआरएफ का आकार केवल औसत वार्षिक व्यय के आधार पर नियत नहीं किया जाना चाहिए। जबकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने मांग की है कि बारहवां वित्त आयोग आपदाओं और उनकी प्रचंडता के प्रति राज्यों की प्रवणता पर विचार करें, मध्य प्रदेश ने सूखा प्रवण क्षेत्र, अवधि, आवधिकता और अन्य संबद्ध कारकों पर विचार करने का सुझाव दिया। बिहार ने अनुरोध किया कि राहत के मानदंडों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पुनर्बहाली हेतु प्रावधान के अनुसार प्रभावित जनसंख्या के आधार पर सीआरएफ का आकार नियत किया जाए। इसने यह भी कहा कि सीआरएफ का आकार कितना ही हो मुद्रास्फीति के लिए पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ने भी सुझाव दिया है कि सीआरएफ का आकार तय करते समय सघनता, नियमितता और अपेक्षित राहत की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान ने सुझाव दिया है कि आपदा राहत निधि में राज्यों के अंशदान को घटाकर 10 प्रतिशत किया जाए, जबकि उत्तर प्रदेश ने इसे 15 प्रतिशत पर रखने का सुझाव दिया है। असम, नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर का मत यह है कि सम्पूर्ण निधियन केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश ने सुझाया है कि पिछड़े राज्यों से निधि में अंशदान नहीं कराया जाए अथवा वैकल्पिक रूप से उनके अंशदान को 10 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए। त्रिपुरा विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों को निधि में अंशदान करने से मुक्त चाहता है। इसी प्रकार, उत्तरांचल ने सुझाव दिया है कि उत्तरांचल जैसे आपदा-प्रवण राज्य के लिए, जोकि राजकोषीय रूप से भी लाभवंचित है, संपूर्ण राहत केन्द्र से 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में आनी चाहिए। मणिपुर ने आग्रह किया है कि राज्य द्वारा सामना किए जाने वाले राजकोषीय दबाबों के प्रिप्रेक्ष्य में, उसके मामले में आपदा राहत कोष में संपूर्ण अंशदान केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए।

(ग) राहत प्रदान करने के लिए, राज्यों द्वारा अनेक आपदाओं का सुझाव दिया गया है। इनमें से अधिकतर क्षेत्र-विशिष्ट हैं और केवल उन्ही राज्यों द्वारा सुझाए गए हैं, जो इन आपदाओं से प्रभावित होते हैं। आपदा राहत कोष के अन्तर्गत वर्तमान छः आपदाओं (राज्यों के नाम कोष्ठक में दिए गए हैं) के अलावा, सुझाई गई आपदाएं हैं:- भूस्खलन (अरुणाचल प्रदेश, असम और तमिल नाडु), भू-क्षरण (असम), गर्म और ठंडी लहरें (बिहार, हरियाणा, उड़ीसा), बिजली चमकना (हरियाणा), कीट आक्रमण (पंजाब, तमिलनाडु), पानी जमा होना (पंजाब), बांस फ्लॉवरिंग (मिजोरम) और नदियों के मार्ग में परिवर्तन (बिहार)।

(घ) आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, प. बगांल और उत्तर प्रदेश ने क्षतिग्रस्त अवसंरचना की पुनःबहाली और उन्हें पूर्व-आपदा स्तर पर लाने के लिए व्यय पूर्ति की अनुमति राज्यों को देने का अनुरोध किया है। आपदा राहत निधि से पूरा किए जाने वाले राहत व्यय के लिए निर्धारित मानकों के मुद्दे पर, राज्यों ने योजना के लचीलेपन के लिए उनमें रियायत हेतु अभ्यावेदन किया है। आंध्र प्रदेश के अनुसार, प्रचण्ड सूखे की स्थिति में, पूंजीगत कार्यो जैसे कुओं का खोदा जाना, पम्पों के संस्थापन आदि पर व्यय के लिए मानकों में रियायत की जा सकती है। गुजरात और उत्तर प्रदेश ने सुझाव दिया है कि राहत कार्य के निरीक्षण के लिए स्थापना पर व्यय भी आपदा राहत कोष पर एक वैध प्रभार होना चाहिए।

(ङ) छत्तीसगढ़ और गुजरात ने सुझाव दिया है कि परिसमापन के आधार पर निधि में अभिवृद्धि के निवेश के मामले में राज्यों को पूर्ण स्वतन्त्रता की अनुमति दी जाए। जहां गुजरात ने निधि को राज्यों के लोक खातों में रखने का सुझाव दिया है, छत्तीसगढ़ इस मामले में राज्यों को पूर्ण स्वतन्त्रता देने के पक्ष में है, जिसमें उसे राज्यों के लोक खातों में रखने की स्वतन्त्रता शामिल है। उत्तर प्रदेश ने अभ्यावेदन किया है कि परिसमापन के उद्देश्य के लिए और निधियों पर निवेश के पर्याप्त प्रतिफल के लिए, निवेश पैटर्न को राज्य स्तरीय समितियों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

(च) राज्यों ने एनसीसीएफ को जारी रखने का सुझाव दिया है, परन्तु वर्धित संचित निधि के साथ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और प. बंगाल का मत है कि एनसीसीएफ की संचित निधि अपर्याप्त है और उसे उपयुक्त रूप से बढ़ाना चाहिए। केरल ने सुझाव दिया है कि निधि की संचित निधि को राज्यों को आपदा राहत निधि के केन्द्रीय साझे के रूप में अंतरित कुल राशि के 10 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र के अनुसार, एनसीसीएफ के लिए 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक मूल राशि को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए।

(छ) केरल का मत है कि असाधारण प्रचन्ड विपत्तियों को विपत्तियों के विभिन्न प्रकारों और प्रबलता के मापकों के लिए पैरामीटरों के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि विवेकाधिकार और विलम्ब को न्यूनतम किया जा सके। उड़ीसा ने यह विचार व्यक्त किया है कि असाधारण प्रचंडता वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निधियन और पुर्नवास लचीला और पर्याप्त और किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त होना चाहिए।

केन्द्र सरकार के विचार

9.9 गृह मंत्रालय ने अपने ज्ञापन में, पश्च-विपत्ति राहत से पूर्व विपत्ति तैयारी और प्रशमन पर संकेन्द्रण करने का मामला उठाया है। मंत्रालय ने तैयारी और प्रशमन पहलुओं के लिए आपदा प्रशमन निधि नामक एक विशिष्ट कोष के गठन का सुझाव दिया है, जिसे गृह मंत्रालय के अधिकारक्षेत्रातंर्गत रखा जाएगा। गृह मंत्रालय के ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं के आधार पर, व्यय के मानकों को संशोधित किया गया है। अब राज्यों को, राज्यों द्वारा गठित खोज और बचाव दलों के लिए खोज और बचाव उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए प्रत्येक वर्ष आपदा राहत निधि में अतर्वाहों का 10 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति है। गृह मंत्रालय इसे अभिमुखीकरण में परिवर्तन के रूप में विशेषज्ञों के दलों के प्रशिक्षण के लिए आपदा राहत निधि के प्रयोग की अनुमति की व्यवस्था के साथ तैयारी के लिए सीआरएफ के प्रयोग की अनुमति मानता है। दूसरी ओर, वित्त मंत्रालय का मत यह है कि आपदा राहत निधि एनसीसीएफ का संकेन्द्रण मुख्यतया आपदा राहत और विपत्ति प्रशमन पर रखा जाना आवश्यक है; पुनर्निर्माण और ऐसे अन्य क्रियाकलापों का निधियन अलग से सुभिन्न आयोजनागत स्कीमों के रूप में किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय का विचार यह है कि पूर्व में हुए औसत व्यय के आधार पर आपदा राहत निधि के आकार को निर्धारित करने की वर्तमान प्रक्रिया अधिक गरीब राज्यों और उन राज्यों पर अधिक भार डालती है जो अधिक सावधानीपूर्वक आपदा राहत निधि से व्यय उपगत करते हैं। अतः मंत्रालय ने अनुशंसा की है कि आपदा राहत निधि के आकार के निर्धारण के लिए वर्तमान मानदंड के अतिरिक्त राज्यों की भेद्यता/संकट पार्श्वचित्र गरीबी की स्थिति, पिछले दस वर्षों में विपत्तियों के कारण हानियों की राशि आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए अन्य सुझाव सीआरएफ/एनसीसीएफ से राहत के लिए पात्र आपदाओं की सूची में भू स्खलन और हिम वर्षा को शामिल करने और एनसीसीएफ से संघ राज्य क्षेत्रों को राहत के लिए प्रावधान देने से संबंधित हैं; क्योंकि राज्यों द्वारा एनसीसीएफ की संचित निधि में कोई अंशदान नहीं किया जाता।

अनुशंसाएं

9.10 राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के मतों पर विचार करने पर हम पाते हैं कि आपदा राहत निधि योजना ने राज्यों की तत्काल राहत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य को कुल मिलाकर पूरा किया है। तदनुसार, हम भी आपदा राहत कोष की योजना को इसके आगे सुझाए गए कुछ लघु परिवर्तनों के साथ, उसके वर्तमान रूप में जारी रखने की अनुशंसा करते हैं।

9.11 आपदा राहत कोष के आकार के निर्धारण के उद्देश्य से, 1993-94 से 2002-03 तक के वर्षों के लिए मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत उपगत राहत व्यय को ध्यान में रखा गया है, चूंकि 2003-04 के लिए आंकड़े केवल संशोधित अनुमानों के रूप में उपलब्ध थे। इस प्रयोजनार्थ, एनसीसीएफ से आबंटनों को छोड़ा गया है। इसके पश्चात् आपदा राहत निधि के आकार के निर्धारण के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की कार्यप्रणाली का अनुसरण किया गया है। इन वर्षों के दौरान किए गए कुल व्यय के औसत को 2003-04 के लिए परिकल्पित आंकड़े के रूप में अपनाया गया है और 2009-10 तक प्रत्येक वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की 5 प्रतिशत की वार्षिक दर को जोड़ा गया है। यह नोट किया गया कि कुछ वर्षों में, कतिपय घटनाओं के कारण (जैसे गुजरात में भूकंप और उड़ीसा में महा चक्रवात) जो हो सकता है कि पंचाट अवधि के दौरान फिर न हो, कुछेक राज्यों का व्यय विचारणीय रूप से बढ़ा है। यह भी माना गया है कि राहत उपलब्ध कराने के मानदंड के रूप में व्यय से उन राज्यों के साथ न्याय नहीं होता, जो आवश्यकता के बावजूद निम्न राजकोषीय क्षमता के कारण खर्च करने में असमर्थ हैं। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे "निम्न-आय" वाले राज्यों की आबंटन के लिए, ग्यारहवें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि के कुल आकार के दस प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान किया था। हमारे विचार में, निम्न आय वाले राज्यों की समस्या अब भी वहीं है और हमने इस पहलू का ध्यान अविभाजित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों के लिए 25 प्रतिशत का अतिरिक्त आंबटन उपलब्ध कराकर रखा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के नव-सृजित राज्यों को आबंटन क्षेत्र के अनुपात के आधार पर किए गए हैं। हमने पाया कि उत्तरांचल के मामले में, क्षेत्र के आधार पर औसत राहत व्यय का परिकलन और उसके एक विशिष्ट श्रेणी वाले राज्य के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान देने से राज्य के साथ

पूर्ण न्याय नहीं हुआ है। पहली बार है कि उत्तरांचल की आपदा राहत निधि के आकार का निर्धारण किया जा रहा है। क्षेत्र, भूभाग और जलवायु स्थितियों में हिमाचल प्रदेश से तुलनीय होने पर भी उत्तरांचल की जनसंख्या अधिक है। इसीलिए, उत्तरांचल की आपदा राहत निधि में हिमाचल प्रदेश की तुलना में कुछ हद तक समरूपता लाने के लिए, उसके आबंटन को 144 करोड़ रुपए की राशि द्वारा बढ़ाया गया है। इन सभी पर विचार करते हुए, प्रत्येक राज्य के लिए 2005-06 से 2009-10 तक आपदा राहत निधि के आकार का निर्धारण किया गया है। अतः आपदा राहत कोष का आकार ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि में 11007.59 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर हमारे आंबटन के अंतर्गत 21333.33 करोड़ रुपए हो गया है। केन्द्र का अंशदान 8255.69 करोड़ रुपए से बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गया । यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक राज्य के लिए हमारे द्वारा अनुशंसित किया गया, आपदा राहत निधि का आकार, मुद्रास्फीति के लिए सूचकांकन के पश्चात् भी ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किए गए आकार से बड़ा है। इससे सीआरएफ का आकार बढ़ाने की राज्यों की मांग और मुद्रास्फीति के लिए व्यवस्था करने की मांग पूरी हो जाती है। तथापि, हम राज्यों और गृह मंत्रालय के अन्य कारकों जैसे राज्यों की आपदाओं के लिए प्रवणता और उनकी प्रचण्डता और पिछले दस वर्षों में विपत्तियों के कारण हुई हानियों की राशि, को ध्यान में रखने के सुझावों से सहमत होने की ओर प्रवृत्त नहीं है। हम इस मामले में, ग्याहरवें वित्त आयोग के विचारों का समर्थन करते हैं कि ये सभी कारक एक समयावधि के दौरान मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत हुए राहत व्ययों पर आकड़ों में तर्कसंगत रूप से शामिल हैं।

हम राज्यों की आपदा राहत निधि में राज्यों के अंशदान को कम करने से संबंधित सुझावों से भी सहमत नहीं हैं। आपदा राहत निधि में राज्यों का स्वयं का अंशदान राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना भरता है और निधि से फिजूल व्यय करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। इसीलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि केन्द्र और राज्य आपदा राहत निधि में क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक का अंशदान जारी रखेंगे।

9.12 हम आपदाओं की सूची का विस्तार करने में विचारणीय न्यायसंगतता पाते हैं, जिन्हें हमारी अनुशंसाओं द्वारा शामिल किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा की परिभाषा का, जैसे वह वर्तमान में प्रयोज्य है, भू स्खलन, हिमवर्षा, बादल का फटना और कीट आक्रमण तक विस्तार किया जाएगा। यद्यपि हमारे विचारार्थ विषयों में "विपत्ति" शब्द शामिल है, हम इस शब्द के विषयक्षेत्र का और अधिक विस्तार व्यवहार्य नहीं समझते। अन्य विपत्तियों, रासायनिक और औद्योगिक, और वायु/रेलवे दुर्घटनाओं का संबंधित मंत्रालयों द्वारा ध्यान रखा जाना जारी रहेगा।

9.13 अवसंरचना और पूंजीगत परिसंपत्तियों की बहाली पर व्यय, वर्जित रहना जारी रहेगा, क्योंकि आपदा के घटित होने पर राज्यों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हुए व्यय के अलावा अन्य कोई भी व्यय, न केवल आपदा राहत निधि पर अतिरिक्त भार डालेगा बल्कि आपदा राहत निधि की योजना को नुकसान पहुंचाने वाले राज्यों की ओर से फिजूल व्यय के रूप में परिणामित होगा। क्षतिग्रस्त अवसंचरना की बहाली की नए मानकों द्वारा योजना बनानी होगी, जिसका परिकलन क्षति पहुंचाने वाली घटना के विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् होगा तथा साथ ही ऐसा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके किया जाना है जो स्पष्टतः किसी तत्काल राहत कार्यक्रम के भाग के रूप में संभव नहीं है।

9.14 कई राज्यों और गृह मंत्रालय ने भी विपत्ति की तैयारी और प्रशमन से संबंधित आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। हम इस बात से सहमत हैं कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसपर विचार किया जाना आवश्यक है। परन्तु इसे राज्य योजना में अंतनिर्मित किए जाने की आवश्यकता है, जैसाकि प्रचलन रहा है । सीआरएफ/एनसीसीएफ का संकेन्द्रण मुख्यतया आपदा राहत पर होना चाहिए। विपत्ति तैयारी के संबंध में, विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए संकट के मापन का सुझाव दिया गया है। इस संदर्भ में, देश की भूभौतिकीय और कृषिय-मौसम वैज्ञानिकता को देखते हुए, विभिन्न राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाले संकटों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों, बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों वाली एक समिति का गठन करना उपयोगी होगा।

9.15 आपदा राहत निधि में पड़ी अव्ययित निधि के निवेश और सीआरएफ से राहत व्यय करने के लिए मदों/मानकों के संबंध में, वर्तमान व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप से भी हम इन्कार करते हैं। तथापि, हम सुझाते हैं कि वित्त मंत्रालय सीआरएफ में पड़ी निधियों के निवेश के मुद्दे पर पुर्नविचार करे और राज्यों को आवश्यक दिशानिर्देश दे, बशर्ते कि ये दिशानिर्देश वर्तमान योजना के विस्तृत ढांचे के विपरीतार्थक न हों।

9.16 हम एनसीसीएफ की योजना को जारी करने के संबंध में राज्यों के सुझावों से सहमत हैं। अतः हम अनुशंसा करते हैं कि एनसीसीएफ की योजना अपने वर्तमान रूप में जारी रहे। योजना, गुजरात भूंकम्प और अन्य स्थितियों के निवारण में, जो राज्यों के नियंत्रण से बाहर थीं, सफल रही है।

निधि जमा करने के मोर्चे पर भी, योजना समय की परीक्षा में सफल रही है क्योंकि किसी विशिष्ट समय-बद्ध अधिभार की अनुपस्थिति में, प्रत्येक वर्ष निधि की पूर्ति सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अधिरोपित राष्ट्रीय आपदा आक्समिकता शुल्क के माध्यम से हो जाती है। यह शुल्क अनन्य रूप से एनसीसीएफ की पूर्ति के लिए होता है और वर्ष 2004-05 के लिए इससे 1769 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। एनसीसीएफ में यह वार्षिक अभिवृद्धि उसकी संचित निधि के निर्माण में मदद करती है।

9.17 एनसीसीएफ में निधियों की अपर्याप्तता और 500 करोड़ रुपए की संचित निधि को बढ़ाने के संबंध में हमने राज्यों के मतों पर विचार किया है। चूंकि एनसीसीएफ की योजना का निधियन तंत्र किसी भी व्यय के कारण निधि की तत्काल और समकालिक पूर्ति की व्यवस्था करता है, असाधारण प्रचण्डता की आपदा के घटित होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई किसी भी दुर्घटना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि उचित प्रतीत होती है। अतः हम एनसीसीएफ की संचित निधि में संवृद्धि के लिए कोई न्यायसंगतता नहीं पाते।

9.18 आयोग ने विशेषतया हाल के वर्षों में राज्यों में सूखे की स्थितियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों के आंवटन को नोट किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सीआरएफ

के तुलनीय वित्तीय प्रमात्रा की अपनी स्वयं की एक योजना बनाई है। इस योजना में मुफ्त अन्न और रोजगार निरंतरता के लिए नकदी का आश्वासन दिया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा घोषित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को अनेक राज्यों, विशेषकर आंध्रप्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में राहत कार्यक्रमों के साथ एकीकृत कर दिया गया था। दिनांक 15.8.2001 को एसजीआरवाई की घोषणा की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए का 50 लाख टन खाद्यान्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिवर्ष मुफ्त उपलब्ध कराया जाना था। हाल के वर्षों में, राजस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना का सबसे बड़ा उल्लेखनीय लाभभोगी रहा है क्योंकि यह 2003 में सात मिलियन व्यक्तियों के लिए काम सृजित करने में सक्षम रहा था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जिसने मंत्रालय की योजना का काफी लाभ उठाया है। इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों को आवंटन यद्यपि अधिक नहीं रहा है फिर भी सीआरएफ के अंतर्गत वार्षिक आवंटन से तुलनीय है। केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन पर व्यय सूखे अथवा अन्य आपदाओं के परिणामस्वरूप उसे न्यून करने के लिए आवश्यक रूप से राहत व्यय है और केंद्र सरकार इस बारे में पारदर्शी नीति बनाकर ऐसे आवंटन जारी रख सकती है।

9.19 पूर्ववर्ती आयोगों ने उपयुक्त बीमा योजना का विकास करते हुए आपदाओं के प्रभाव को कम करने की संभावना का पता लगाया था। नौवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में यह अपेक्षित था कि राष्ट्रीय बीमा निधि के गठन की व्यवहार्यता की जांच करे जिसमें राज्य अपनी राजस्व प्राप्तियों का कुछ प्रतिशत अंशदान करें। तथापि, आयोग ने अवलोकित किया है कि आपदा राहत के लिए बीमा निधि की संकल्पना इस आधार पर न तो जीवक्षम है और नहीं व्यवहारिक है कि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा नुकसान का मूल्यांकन कराने की प्रक्रिया अनिवार्यतः जटिल और समय लेने वाली होगी जिससे प्रभावित लोगों को समय पर मदद पहुंचाने का वास्तविक प्रयोजन व्यर्थ हो जाता। ईएफसी को भी बीमा कवच की संकल्पना व्यावहारिक प्रतीत नहीं हुई जिसमें प्रीमियम पूर्णतया केंद्र और राज्यों द्वारा अदा किया जाएगा। तथापि, आयोग ने अनुभव किया कि फसल बीमा योजना विशेषतया प्राकृतिक आपदाओं के समय संबंधित किसानों की सहायता रहेगी और इसीलिए इसने इस योजना को मजबूत करने का सुझाव दिया है। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु ने बारहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया है कि प्रभावित जनसंख्या को राहत प्रदान करने के लिए एक बीमा योजना की अनुशंसा करे।

9.20 हम इस मुद्दे पर नौवें एवं ग्यारहवें वित्त आयोगों के विचारों का समर्थन करते हैं क्योंकि कोई भी बीमा योजना, जिसका प्रीमियम केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा अदा किया जाना है, प्रभावित जनसंख्या को कोई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए बिना वर्षानुवर्ष उनपर भारी बोझ डालेगी। तथापि, केन्द्र एवं राज्य सरकारें संवेदनशील क्षेत्रों में निजी आस्तियों के बीमा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा योजना तथा ऋण संबद्ध बीमा योजनाएं एक ऐसा ही उपाय हैं। इसके अतिरिक्त, लघु-बीमा आज की आवश्यकता है। लघु बीमा का संदर्भ औपचारिक संस्थाओं अर्थात् बीमाकर्ताओं तथा अर्ध-औपचारिक/अनौपचारिक संस्थाओं जैसे एनजीओ, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लक्षित जनसंख्या जैसे लघु उद्यमी, छोटे किसान तथा भूमिहीन लोग, महिलाएं तथा निम्न आय लोगों के बीमा योग्य जोखिमों से आस्तियों और जीवन की संरक्षा करने से है। यह संकल्पना देश में अभी शैशवावस्था पर है तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण लघु-बीमा विनियमों को अंतिम रूप देने तथा उन्हें अधिसूचित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। चूंकि औपचारिक संस्थाएं जनसंख्या के केवल एक भाग को ही सेवाएं प्रदान करती हैं जो विशिष्ट रूप से सामाजिक व्यवस्था के उपरी वर्ग में निहित होती है, एनजीओ तथा स्व-सहायता समूहों जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए सीधे अभिगम्य हैं, को शामिल करने की कोई पहल राज्य सरकारों की पहल पर ही सर्वोत्तम रूप से की जा सकती है।

9.21 हमें आईआरडीए ने सूचित किया है कि साधारण बीमा कम्पनी ने एक "भूकम्प पूल" का सृजन करने का निर्णय किया है जो भूकम्पों के कारण होने वाली भारी हानियों के मामले में जोखिम के भार की साझेदारी करने में सभी बीमा कम्पनियों को समर्थ बनाएगी। "भूकम्प पूल" के संघटन की रुपात्मकताओं की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल का पहले ही संघटन कर लिया गया है। इस संकल्पना के तहत, बीमाकर्ता भूकम्प प्रीमियम को पूल में विपथित करेंगे। ऐसी योजना प्रपात की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जनता को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यह आशा है कि इस प्रकार का बीमा समाधान प्रभावित जनसंख्या को आपदा राहत के सुव्यवस्थित वितरण में परिणामित होगा।

9.22 संक्षेप में, हमारी अनुशंसाएं निम्न प्रकार हैं :-

(क) सीआरएफ की योजना को केन्द्र तथा राज्य में 75:25 के अनुपात में अंशदान के साथ इसके वर्तमान रूप में जारी रखा जाए।

(ख) हमारी अवार्ड अवधि के लिए सीआरएफ का आकार 21333.33 करोड़ रुपए परिकलित किया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त, वर्तमान में चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़ तथा ओलावृष्टि पर यथा प्रयोज्य प्राकृतिक आपदा की परिभाषा को विस्तारित कर उसमें भू-स्खलन, हिमप्रपात, बादल फटने तथा कीट आक्रमणों को शामिल किया जाए।

(घ) आपदा तैयारी तथा प्रशमन आवश्यकताओं के लिए प्रावधान को राज्य योजनाओं में अंतर्निर्मित किया जाना आवश्यक है, न कि आपदा राहत के भाग के रूप में ।

(ङ) राज्यों के समक्ष आने वाले खतरों का अध्ययन करने तथा उनका परिमाणन करने के लिए वैज्ञानिकों, बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों से युक्त एक समिति का गठन किया जाए।

(च) एनसीसीएफ की योजना 500 करोड़ रुपए की केन्द्रीय संचित निधि के साथ अपने वर्तमान रूप में जारी रखी जाए। निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के संग्रहण तथा विशेष अधिभार के उद्ग्रहण के रूप में जारी रखी जाए।

(छ) केन्द्र राहत उपाय के रूप में जरुरतमंद राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन करना जारी रखेगा किन्तु इस संबंध में एक सुस्पष्ट पारदर्शी नीति की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।